पत्रांक–04 / HFA-04/2018- 1551 /न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक

चैतन्य प्रसाद, भा0प्र0से0,
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम।
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद / नगर पंचायत।

पटना, दिनांक 24-6-19

विषयः– **'प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना–सबके लिए आवास' के क्रियान्वयन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि 'प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना–सबके लिए आवास' राज्य के सभी नगर निकायों में लागू है। योजना का उद्देश्य मिशन अवधि (2015–22) में शहरी क्षेत्र सभी पात्र लाभुकों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना के लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC) घटक में विभिन्न चरण में परियोजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जाती है एवं राशि विमुक्त करने में प्रक्रियात्मक विलंब होती है। जिससे योजना की गति बाधित होती है।

योजना की गति को बनाये रखने हेतु कार्य हित में विमुक्त राशि को नगर निकाय द्वारा अलग–अलग चरणों में खर्च किया जा सकता है, जिसका समायोजन संबंधित परियोजना में राशि प्राप्त होने पर निकाय स्तर पर कर ली जायेगी।

विश्वासभाजन,
14/6/2019
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–04 / HFA-04/2018- 1551 पटना / दिनांक– 24-6-19
प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार / प्रधान सचिव, वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

14/6/2019
प्रधान सचिव।